

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-7/हिन्दी/स्थानान्तरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत कांता शर्मा, व्याख्याता (हिन्दी), रा.महा.बाउमावि, छोटी चौपड़, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि, कारौली-पावटा, विराटनगर, जयपुर किया गया। कांता शर्मा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या-3748/2019 कांता शर्मा बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई। इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक-20.12.2019 द्वारा उक्त अपील को खारिज कर अपीलार्थी कान्ता शर्मा को स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करने के निर्देश दिये गये थे।

कान्ता शर्मा ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक-29.09.2019 एवं अपील खारिज आदेश दिनांक-20.12.2019 के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या-146/2020 श्रीमती कान्ता शर्मा बनाम सरकार एवं अन्य की गई है।

अपील संख्या-146/2020 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक-30.01.2020 में अपीलार्थिया कांता शर्मा के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के संबंध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक-29.09.2019 एवं आदेश दिनांक-20.12.2019 का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित किया गया है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थिया कांता शर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अधिकरण से स्थगन आदेश की अनुपालना में अभ्यावेदन निस्तारण होने तक रा.महा.बाउमावि, छोटी चौपड़, जयपुर में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान करने एवं अपना पदस्थापन 1-राबाउमावि, चौड़ा रास्ता, जयपुर, 2-राबाउमावि, सी-स्कीम, जयपुर, 3-राबाउमावि, गणगौरी बाजार, जयपुर, 4-श.अमित भारद्वाज राउमावि, माणक चौक, जयपुर, 5-राउमावि, वाटिका, जयपुर में करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए इनका पदस्थापन/समायोजन राउमावि, वाटिका (218208), जयपुर में व्याख्याता (हिन्दी) के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।



(सौरभ स्वामी)


आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्था.को.के./कान्ता शर्मा/146/2020 दिनांक- 04-03-2020

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जयपुर
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित संस्था प्रधान
9. संबंधित कार्मिक-
10. गार्ड पंजिका।



संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर